

IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI  
FORM OF ORDER SHEET

भू-हदबंदी अपील वाद सं०-०६/२०१३

मसोमात कौशल्या देवी

बनाम

जगदीश रावत वगैरह

| Date of order or proceeding | Order with the signature of the Court   | Office action taken with date |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 2                           |   |                               |
| 09.09.2016                  | <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह अपील वाद अपीलार्थी मसोमात कौशल्या देवी पति-स्व० गणेशी नोनिया ग्राम-रवैया थाना-सिकन्दरा जिला-जमुई के द्वारा निम्न न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के भू-हदबंदी की धारा-16(3) वाद सं०-०६/१२-१३ जगदीश रावत बनाम मसो० कौशल्या देवी में पारित आदेश दिनांक 20.06.2013 के विरुद्ध दायर किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी ने आने अपील का आधार मात्र यह रखा है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विरुद्ध है और अपीलार्थी भूमिहीन की श्रेणी में आती हैं। उनका यह भी कहना है कि प्रत्युत्तर वादी द्वितीय सेट ने पहले प्रत्युत्तर वादी प्रथम सेट को जमीन बिक्री करने की पेशकश की थी, किन्तु उनके द्वारा मना करने पर अपीलार्थी ने यह जमीन कय किया। उन्होंने यह भी कहा है कि अपीलार्थी ने वास्तव में यह जमीन तीन लाख रूपये में कय की है, किन्तु कोर्ट फी बचाने के उद्देश्य से विकयनामा में दो लाख रूपये का जिक्र किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्युत्तर वादी द्वितीय सेट ने निम्न न्यायालय के समक्ष यह शपथ-पत्र दाखिल किया था कि उन्होंने यह जमीन पहले जगदीश रावत को बेचने की पेशकश की थी। उनका यह भी कहना है कि विद्वान उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई द्वारा भूमि का स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया था एवं उनके द्वारा विकयनामा में अंकित चौहद्दी को ही मान लिया गया जिसे अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। उपरोक्त के आलोक में उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 20.06.2013 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।</p> <p>अपीलार्थी के द्वारा निम्नांकित कागजात समर्पित किया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2007(1) PLJR पेज 203 से 206 की छायाप्रति,</li> <li>2. 2015(4) PLJR पेज 681 से 684 की छायाप्रति,</li> <li>3. 2005(3) PLJR पेज 352 से 353 की छायाप्रति।</li> </ol> <p>2. विपक्षी प्रथम सेट जगदीश रावत के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी द्वितीय सेट राज किशोर सिंह ने अपीलार्थी के पक्ष में दस्तावेज सं०-8421 दिनांक 17.10.2012 के माध्यम से मौजा-रवैया के खाता सं०-149 खेसरा सं०-379 रकबा-30<math>\frac{2}{3}</math> डी० भूमि अन्तरित कर दिया जिसकी उत्तर चौहद्दी में जगदीश रावत है और ऐसा केवाला में भी</p> |                               |

दर्ज है। विपक्षी प्रथम सेट इस जमीन के चौहद्दीदार रैयत हैं जबकि अपीलार्थी चौहद्दीदार रैयत नहीं है। चौहद्दीदार रैयत होने के नाते विपक्षी प्रथम सेट ने उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में भू-हदबंदी की धारा-16(3) के अंतर्गत वाद सं0-06/2012-13 दायर किया था जिसमें उनके पक्ष में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा दिनांक 20.06.2013 को आदेश पारित किया गया है। विपक्षी का यह भी कहना है कि अपीलार्थी भूमिहीन नहीं है अपीलार्थी के पास 2.99 एकड़ जमीन है। विपक्षी का यह भी कहना है कि उनके द्वारा L.C. FORM-13 सही ढंग से भरा गया है। अतः भू-हदबंदी की धारा-16(3) वाद सं0-06/12-13 में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश दिनांक 20.06.2013 पूर्णतः विधि सम्मत है इसे बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया जाय।

विपक्षी के द्वारा निम्नांकित कागजात समर्पित किया गया :-

1. अंचल अधिकारी, सिकन्दरा के पत्रांक 154 दिनांक 25.04.14 के साथ मौजा-रवैय के होल्डिंग सं0-802 के पंजी 2 की छायाप्रति,
2. अंचल अधिकारी, सिकन्दरा के पत्रांक 155 दिनांक 26.04.14 के साथ मौजा-रवैय के होल्डिंग नं0-1688 के Register-II की छायाप्रति,
3. अंचल अधिकारी, सिकन्दरा के पत्रांक 157 दिनांक 26.04.14 के साथ मौजा-रवैय के होल्डिंग सं0-2044 के पंजी-2 की छायाप्रति,
4. राज किशोर सिंह के द्वारा मसोमात कौशल्या देवी को दिनांक 17.10.2012 को किये गये केवाला सं0-8421 दिनांक 17.10.2012 की प्रमाणित छायाप्रति की छायाप्रति,
5. मसोमात कौशल्या देवी को भेजे गये वकालतन नोटिस दिनांक 08.11.2012 की प्रति,
6. निबंधित डाक रसीद नं0-A RF 010092911 IN दिनांक 27.11.12 की छायाप्रति,

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के कथन को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का यह कहना कि विक्रयनामा में चौहद्दी गलत अंकित है और उन्होंने उसे चुनौती दी थी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने स्वयं इस विक्रयनामा को पढ़ कर उस पर अपना हस्ताक्षर अंकित किये हैं और अगर चौहद्दी गलत थी तो उन्हें उसका तितमानामा कराना चाहिए था जो उन्होंने आज तक नहीं कराया है।

अपीलार्थी का यह आधार है कि वे भूमिहीन हैं भी गलत प्रतीत होता है जैसा कि विपक्षी द्वारा दाखिल सूचना का अधिकार के तहत अपीलार्थी के पंजी-II की छायाप्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है। इन छायाप्रतियों से स्पष्ट है कि मसोमात कौशल्या देवी के नाम से जमाबंदी सं0-1688 एवं 2044 में मौजा-रवैय में उनके स्वयं के नाम से 77 डी0 जमीन है एवं इसी मौजे में जमाबंदी सं0-802 पर उनके स्वर्गीय पति गणेश जोनियाँ के नाम से 1 एकड़ 82 $\frac{1}{2}$  डी0 जमीन है। इससे स्पष्ट

है कि वे भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आती हैं। जहाँ तक विक्रयनामा में कम मूल्य लिखाने की बात है तो इस अग्रकयाधिकार वाद में उसका सहारा भी वे नहीं ले सकती, क्योंकि स्वयं के अनैतिक एवं अवैध कृत्य का फायदा न्यायालय वाद में नहीं लिया जा सकता है। जहाँ तक प्रत्युत्तर वादी द्वितीय सेट द्वारा दाखिल शपथ-पत्र की बात है निम्न न्यायालय के अभिलेख पर दाखिल शपथ-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसकी प्रति निम्न न्यायालय के आवेदक को नहीं दी गई थी और न ही उस शपथ-पत्र का परीक्षण या प्रतिपरीक्षण किया गया था।

अतः निम्न न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.06.2013 को निरस्त करते हुए इस वाद को उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई को इस आदेश के साथ Remand किया जाता है कि शपथ-पत्र का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए मुखर आदेश पारित करें।

जहाँ तक अपीलार्थी की इस न्यायालय के समक्ष स्वीकारोक्ति है कि विक्रय विलेख में उन्होंने जमीन का कय मूल्य कम दिखाया इससे संबंधित उनका आवेदन तथा अन्य कागजात जिला अवर निबंधक, जमुई को सरकारी राजस्व की वसूली हेतु भेजें।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

*Kamdhul*  
2/9/14  
समाहर्ता,  
जमुई।

*Kamdhul*  
2/9/14  
समाहर्ता,  
जमुई।